

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

औरय्या

तहसील

विधुना 231620030030358

प्रमाणपत्र क्र॰

आवेदन क०

321233007924

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

कीर्ति शाक्य/KIRTI SHAKYA

सर्वेश कुमार संगीता देवी

,तिलक नगर

विधूना औरय्या



जारी दिनांक: 28/07/2023

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>काछी</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कीर्ति शाक्य/KIRTI SHAKYA पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है



जारी कर्ता केन्द्र: महेंद्र सिंह शाक्य,सीएससी गवर्नेस जन सेवा केंद्र

पद: महेंद्र सिंह शाक्य, केन्द्र प्रभारी

स्थान : 13,Bidhuna (NP) - Ward

No.13,औरया,बिधूना,औरया

दिनॉक: 29/07/2023

JITESH Digitally Signed by VERMA Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बिधूना, औरय्या दिनॉक:28/07/2023

हस्ताक्षर एवं महर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।